बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 380983 पटना, दिनांक 26/07/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो(रा0ह018-19)-102-27/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

अररिया, अरवल, भोजपुर, कैमूर (भभुआ), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिम चम्पारण, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान, सुपौल, वैशाली ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु सेवा प्राप्त कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक भुगतान हेतु निधि की अधियाचना के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-365017 दिनांक-13.04.18 एवं पत्रांक-370837 दिनांक-23.05.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु सेवा प्राप्त कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में निधि की आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी । इस संबंध में समय-समय पर ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद अबतक आपके जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका है । वहीं अरवल एवं पश्चिम चम्पारण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

जिलों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस निमित्त निधि का हस्तांतरण संभव नहीं है तथा इस कारण से कार्यरत कार्यपालक सहायकों का पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब की जवाबदेही जिलों की होगी । साथ ही यह माना जायेगा कि इन जिलों में इस मद में राशि की आवश्यकता नहीं है ।

अत: अनुरोध है कि निम्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2018 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

प्रपत्र

कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सं0	**प्रतिमाह अनुमान्य मानदेय/पारिश्रमिक**	**अनुमान्य वार्षिक व्यय (01.04.18 से 31.03.19 तक के लिए)**	**पूर्व से यदि कोई राशि उपलब्ध हो/देय हो तो उसका विवरण**	**अधियाचना की राशि**
1	2	3	4	5

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2152 C.doc